भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2018
दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य केन्द्र

2018. श्री भोजराज नाग:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में वर्ष-वार कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (त्रीएचसी) कितने हैं और कितने खोले जाने हेतु स्वीकृत हुए हैं;
(ख) देश में ऐसे नए केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(ग) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ऐसे केन्द्रों के लिए कितनी निधि का उपयोग किया गया है;
(घ) क्या छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने की कोई विशेष योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया, 2022-23 के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 169 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, विगत पाँच वर्षों के लिए प्रकरण के अभिलेख (आरओपी) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को दी गई वर्षवार स्वीकृति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	अनुमोदित कुल यूनिट
1.	2019-20	5
2.	2020-21	2
3.	2021-22	3
4.	2022-23	3
5.	2023-24	3

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा उपयोग की गई कुल निधियां 17.47 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए जनसंख्या मानदंड प्रदान करते

हैं। आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार, 80,000-1,20,000 की जनसंख्या पर एक सीएचसी स्थापित किया जाना है।

(घ) और (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, विशेष रूप से भौगोलिक स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सुदृढीकरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों द्वारा प्रस्तुत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (एसपीआईपी) के आधार पर राज्यों को निधियां आवंटित की जाती है, जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाता है। विवरण पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध हैं: https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=44&lid=57

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को जन स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए निम्नलिखित निधियां आवंटित की है:

- **पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुलभता प्रदान करने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। राज्य के प्रस्ताव के अनुसार, 54 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू), 21 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 15 गहन परिचर्या केयर ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को चार वर्षों (यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के लिए 518.39 करोड़ रूपए की राशि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

- पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के तहत, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, राज्य के प्रस्ताव के अनुसार 628 भवनहीन उप स्वास्थ्य केंद्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (608 एसएचसी और 20 पीएचसी) और 41 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच साल की अवधि में 1027.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधा केंद्रों को बढ़ाना है। इस योजना के तहत रायपुर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बिलासपुर और जगदलपुर में दो सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों (जीएमसीआई) के उन्नयन को मंजूरी दी गई है।

- केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए ऐसे वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद और कांकेर जिलों में 05 मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति दी गई।

*****